



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY  
भाग III—खण्ड 4  
PART III—Section 4  
प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 90]

नई दिल्ली, बुधवार, मई 19, 2004/वैशाख 29, 1926

No. 90]

NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 19, 2004/VAISAKHA 29, 1926

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 मई, 2004

सं. 5-4/2000—ए एंड एल (खंड-1).—समय-समय पर यथासंशोधित, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण आंशिक विनियम, 1997 की उप-धारा 10 (1) और 36 (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तथा भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (अधिकारी और स्टाफ नियुक्ति) विनियम, 2001 में संशोधन करके जिसे अब आगे 'मूल विनियम' कहा जाएगा, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) एतद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है :

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (अधिकारी और स्टाफ नियुक्ति) (द्वितीय संशोधन) विनियम, 2004  
(2004 का क्रमांक 7)

भाग-I—प्रारंभिक

1. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ :

- इस विनियम को भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (अधिकारी और स्टाफ नियुक्ति) (द्वितीय संशोधन) विनियम, 2004 कहा जाएगा।
- यह विनियम, सरकारी राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से लागू होगा।

भाग-II—स्टाफ संवर्ग संबंधी विनियम

2. अनुसूची-II स्टाफ संवर्ग में,—'मूल विनियम' में अवर श्रेणी लिपिक के पद पर पदोन्नति के लिए सेवा-अवधि से संबंधित कालम 4 में "लागू नहीं" लिखा गया है।

इसे निम्नलिखित रूप से संशोधित किया जाता है :

"परिचर (एटेंडेंट) के ग्रेड में 3 वर्ष की नियमित सेवा तथा निम्नलिखित अर्हता वाले परिचरों में से पदोन्नति द्वारा : (i) मान्यता प्राप्त बोर्ड या संस्था से मैट्रिक या समकक्ष परीक्षा पास, (ii) अंग्रेजी/हिन्दी टाइपिंग में 30 शब्द प्रति मिनट की गति और (iii) कंप्यूटर का कार्यसाधक ज्ञान।"

वाई. के. गेहा, सलाहकार (ए एंड एल)

**TELECOM REGULATORY AUTHORITY OF INDIA  
NOTIFICATION**

New Delhi, the 11th May, 2004

**No. 5-4/2000-A & L (Vol. I).**—In exercise of the powers conferred by the sub-section 10(1) read with 36(1) of the Telecom Regulatory Authority of Act, 1997 as amended for time to time, the Telecom Regulatory Authority of India (TRAI) hereby makes the following Regulation amending the Telecom Regulatory Authority of India (Officers and Staff Appointment) Regulation, 2001, herein after referred to as 'Principal Regulation' :

**The Telecom Regulatory Authority of India (Officers and Staff Appointment) (2nd Amendment) Regulation, 2004.**

(7 of 2004)

**PART I—PRELIMINARY**

**1. Short title and commencement**

- (i) This Regulation shall be called the Telecom Regulatory Authority of India (Officers and Staff Appointment) (2nd Appointment) Regulation, 2004.
- (ii) It shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

**PART II—REGULATION RELATING TO THE STAFF CADRE**

**2** In Schedule II of staff cadre, column 4 regarding length of service for promotion to the post of Lower Division Clerk is shown as "N.A" in the Principal Regulation. This stands amended as under :

"Promotion from amongst Attendants with 3 years of regular service in that grade and who possess the following:

- (i) matriculation or equivalent from a recognised board or institution, (ii) a typing speed of 30 w.p.m. in English/Hindi; and (iii) possessing working knowledge of computer."

Y.K. GAIHA, Advisor (A & L)